Title: Demand to reopen the State Administrative Tribunal (SAT) of Madhya Pradesh.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विाय की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्यप्रदेश सरकार ने, मध्यप्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सेट) को बंद कर दिया है। सेट को बंद करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की जानकारी के बगैर तानाशाह रवैये से सेट को बन्द कर दिया है। न्यायाधिकरण के बन्द होने से 230 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, बेकारी की कगार पर पहुंच गए हैं तथा भूखे मरने की स्थिति में हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण में लंबित 30 हजार प्रकरणों को राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। उन न्यायालयों के ऊपर जो पहले ही बहुत प्रकरण होने के कारण बहुत भार है वह और बढ़ेगा तथा निर्णय होने में और विलम्ब होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मध्यप्रदेश सरकार सेट को पुनः चालू करे। इस हेतु केन्द्र निर्देश दे और लोगों को न्याय पाने की सुविधा प्रदान करने की दृटि से पूर्ववत: न्यायाधिकरण चलता रहे, ऐसी व्यवस्था करे। राज्य सरकार कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिससे कर्मचारियों का अहित हो। मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार इस बारे में राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करे।